

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

अज अदालत SDO (नियम 26) कोटा  
 मुकाम कोटा  
 पुरखाम ल वनाम सुरेश चन्द  
 किस्म मुकद्दमा 88 नं. 68/18 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25 <sup>5</sup> / <sub>18</sub>	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>लक्ष्मीपुरा</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>88</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>मौजा लक्ष्मीपुरा की खसरा सं. 243 की खस</u>  <u>28 र. 079 में सुरेशचन्द के लज्जापुत्र पुरखाम ल</u>  <u>पिता रामचन्द, रबीदाबाई पिता रामचन्द</u>  <u>शं खसराजी लई पत्नी शं. रामचन्द धारक</u>  <u>का नाम दर्ज करवाया जावे।</u>                      पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>लक्ष्मीपुरा की खसरा सं. 243 की खस</u>  <u>28 र 079 में सुरेशचन्द के स्वत पर</u>  <u>पुरखाम ल पिता रामचन्द, रबीदाबाई पिता</u>  <u>रामचन्द शं खसराजी लई पत्नी शं. रामचन्द</u>  <u>धारक का नाम दर्ज करके जो दीखणा</u>  <u>की जाये।</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)  
 RAS  
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलेक्टर  
 बडीसादड़ी (राज.)

